हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Bhoomi - 21 Aug 2025 - Page 10

सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने की खारिज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

एक्सटार्सन, सूदखोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर अपराधों के आरोपी सूदखोर तोमर बंधुओं की सेशन कोर्ट ने बुधवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकील ने वीरेंद्र तथा रोहित तोमर के खिलाफ दर्ज आधा दर्जन मामलों में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन पेश किया था। मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। बचाव पक्ष के वकील ने कुर्की आदेश को लेकर कोर्ट में आवेदन पेश किया है, जिस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

वीरेंद्र तथा रोहित तोमर दो महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने पांच

हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। इनाम घोषित होने के बाद भी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने कोर्ट में आवेदन पेश किया था। इस पर कोर्ट ने दोनों भाइयों को 19 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने की उद्घोषणा की थी। उद्घोषणा के बाद भी आरोपियों के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस के आवेदन पर स्वीकृति देते हुए चार संपत्ति कुर्क करने कलेक्टर के पास प्रतिवेदन भेजा। कलेक्टर ने कुर्की की कार्रवाई करने तहसीलदार को निर्देशित किया है।

आवेदन के दूसरे दिन कुर्की आदेश

बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि कुर्की को लेकर उन लोगों ने 18 को कोर्ट में आवेदन पेश किया था, जिस पर कोर्ट ने 20 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की थी। इसे लेकर बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि उन्हें सुने बिना कुर्की आदेश जारी किया गया है। इस पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। उसके बाद कुर्की की कार्रवाई तय की जाएगी।

साईं विला का मकान, जमीन होगी कुर्क

तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार वीरेंद्र तथा रोहित तोमर की जिन चार प्रापर्टी का कुर्की किया जाना है, उनमें उनका भाठागांव स्थित साईं विला का मकान तथा जमीन शामिल है। इसी तरह से राजधानी से सटे आस-पास के एरिया में तोमर भाइयों के नाम से जो तीन जमीन है। उसे भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार को तय हो जाएगी की सूदखोर तोमर भाइयों की प्रापर्टी कब कुर्क होगी।